संचिका सं0–7/MCH -35-29/2026-27-..263(78)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 23/06/2026

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के विभिन्न 02 ए०एन०एम० एवं 01 जी०एन०एम० संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 15,00,000/- (रूपये पन्द्रह लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1017(1), दिनांक–30.11.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के विभिन्न 02 ए०एन०एम० संस्थानों यथा–ए०एन०एम० स्कूल, पूर्णियां एवं ए०एन०एम० स्कूल, टिकारी, गयाजी तथा 01 जी०एन०एम० संस्थान यथा–जी०एन०एम० स्कूल, सासाराम के विभिन्न पाठ्यक्रमो मे अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 15,00,000/- (रुपये पन्द्रह लाख) मात्र (अनुलग्नक–1 के अनुरूप) के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन माग सं0–20 के अंतर्गत स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–105–एलोपैथी, उपशीर्ष–0012–प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड–20-2210-05-105-0012 अतर्गत छात्रवृति/वजिफा (34–01) मद मे उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, सबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सबधित संस्थान के प्राचार्य होगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, संबंधित प्रमडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार होगे।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एव स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रो के आलोक मे राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए सबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी सबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

(6) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

(7) प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका स०–7/MCH -35-29/2026-27 के पृष्ठ–08/टि० पर प्राप्त है।

(8) इसमे सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(9) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

विश्वासभाजन,

(शभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— 7/MCH -35-29/2026-27-263 (7B) /स्वा0, पटना, दिनांक—23/06/2026

प्रतिलिपि—वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित प्रमडलीय आयुक्त/सबंधित जिला पदाधिकारी/सबंधित. क्षेत्रीय अपर निदेशक/कोषागार पदाधिकारी, सबंधित जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सबधित असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित संस्थान के प्राचार्य—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—07बी एव सबधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक—1

विभिन्न सरकारी ए०एन०एम०/जी०एन०एम० संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु आवंटित की जाने वाली राशि—

क्रम सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि (रूपये में)
1	ए०एन०एम० स्कूल, पूर्णियां	5,00,000
2	ए०एन०एम० स्कूल, टिकारी, गयाजी	5,00,000
3	जी०एन०एम० स्कूल, सासाराम	5,00,000
	कुल—	**15,00,000**

263(7B) 23/06/2026 (रुपये पन्द्रह लाख) मात्र

सरकार के अपर सचिव